न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 606/II/2005 – विरूद्ध आदेश दिनांक 19.4.05 – पारित व्दारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण क्रमांक 195 अ–27/2002–03 निगरानी

1– बीर सिंह 2– करन सिंह
पुत्रगण बाबू सिंह
दोनों निवासी ग्राम बड़ागांव
तहसील नौगॉव जिला छतरपुर ------आवेदकगण

विरूद्ध

1– अवतार सिंह उर्फ अतर सिंह
2– तिलक सिंह पुत्रगण बाबूसिंह
दोनों निवासी ग्राम बड़ागांव
तहसील नौगॉव जिला छतरपुर ------अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री अजय श्रीवास्तव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री कुँवर सिंह कुशवाह)

आ दे श

(आज दिनांक 15– 9 – 2015 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 195 अ–27/2002–03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19.4.2005 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम बड़ागॉव की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 23 पर दिय गये आदेश दिनांक 31.8.1989 के विरूद्ध अनावेदकगण व्दारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी नौगॉव के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी नौगांव ने प्रकरण क्रमांक

13/2000-01 अपील पंजीबद्ध कर अंतरिम आदेश दिनांक 21.8.2001 से अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन स्वीकार कर विलम्ब क्षमा किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष निगरानी करने पर प्रकरण क्रमांक 125 अ 27/01-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.1.2003 से निगरानी अमान्य की। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 195 अ-27/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19.4.2005 से निगरानी अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण में विचार किया जाना है कि अनुविभागीय अधिकारी नौगांव ने प्रकरण क्रमांक 13/2000-01 अपील पंजीबद्ध कर अंतरिम आदेश दिनांक 21.8.2001 से अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन स्वीकार करके विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की त्रृटि की है ?

1. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम , 1963 - धारा-5 - पर्याप्त कारण होने से न्यायालय वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर विलम्ब क्षमा कर सकता है।**
2. **परिसीमा अधिनियम , 1963 - धारा-5 एंव भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 47 - सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणा-गुण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये - पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार-रूख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करना चाहिये।**

उपरोक्त के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के प्रकरण क्रमांक 13/2000-01 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21.8.2001 में किसी प्रकार की कमी नजर नहीं आती है जिसके कारण अपर कलेक्टर छतरपुर ने एंव आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने अनुविभागीय अधिकारी नौगॉव के आदेश दिनांक 21.8.2001 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 195 अ-27/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19.4.2005 विधिवत् पाये जाने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर